बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
सिंचाई अंचल, नवादा।

Email- sewrdnawada2016@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या-02/2025-26

पत्रांकः-.../नवादा, दिनांक- ..../2026

नहर संचालन तथा रख-रखाव हेतु मानक संचालन प्रक्रिया आदेश संख्या-1/पी0एम0सी0/विविध/149/2002-253, पटना, दिनांक-15.03.2024 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, नवादा द्वारा कार्यालय उपयोग, विभिन्न सरकारी कार्यो एवं अंचलाधीन योजनाओं के गहन अनुश्रवण एवं नहरों/प्रमंडलों के निरीक्षण एवं उच्चाधिकारियों के बैठको में भाग लेने इत्यादि कार्यो हेतु वातानुकूलित एस0यू0वी0(स्कार्पियों/समकक्ष) निरीक्षण वाहन ड्राईवर सहित भाड़े पर रखने के लिए निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसे मुहर बंद लिफाफों में दिनांक- 25.03.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक सिंचाई अंचल, नवादा कार्यालय में जमा किया जाएगा और उसी दिन 03:30 बजे अपराह्न मे खोला जाएगा। कोटोशनदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटशन खुलने के समय उपस्थित रहेंगें।

तकनीकी निविदा शर्त

1. वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेश प्रमाण पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित किया जाय।
2. वाहन मालिक का आधार कार्ड, जी0एस0टी0, पैन, कोटशन के साथ समर्पित की जाए।
3. निविदाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क्रमांक संख्या	वाहन का प्रकार	ईधन रहित मासिक भाड़ा
01	वातानुकूलित एस0यू0वी0 (स्कार्पियो/समकक्ष)	

नियम एवं शर्त निम्नवत् है-

1. भाड़े पर वाहन 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक लिया जायेगा। संतोषजनक सेवा रहने पर मार्च 2028 तक एक साल के लिए एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जा सकता है। वाहन का व्यवासायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. वाहन का मॉडल 2022 से पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हलात में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उनके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वाहन किया जायेंगा। चालक के वेतन का भुगतान, अवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेंगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए।
7. वााहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरूद्ध किराया प्रतिदिन ईधन रहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लौग बुक का संधारण वाहन मालिक की जबावदेही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
10. वाहन, प्रशासन नवादा द्वारा स्कार्पियो (वातानुकूलित) के निर्धारित दर 900/- रूपये प्रतिदिन अथवा 23400/- रूप्ये प्रतिमाह से अधिक उद्धत किया गया दर मान्य नहीं होगा।
11. वाहन का ईधन रहित (चालक सहित) प्रतिदिन का न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना नोटिस के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
12. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रतिलिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
13. खरीफ एवं रब्बी अवधि में वाहन का उपयोग दिन एवं रात दोनों समय में अत्यधिक होता है। अतः इस अवधि में दो चालक उपलब्ध कराना होगा।

Sk

14. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगें।
15. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में अनुमति के बिना वाहन कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 1 से 14 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 एवं 06 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटशन प्राप्त होने पर दिनांक–25.03.2026 को 03:30 बजे अपराह्न में वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा।

शपथ–पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटशन अमान्य कर दिया जायेगा।

ह0/–
(ई0 सत्येन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियंता,
सिंचाई अंचल, नवादा।

पत्रांक– ......614....../नवादा. दिनांक– ......18/03....../2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/3/26

(ई0 सत्येन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियंता,
सिंचाई अंचल, नवादा।

18-03-26